।।कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाजार, जोधपुर(पूर्व)।।

प्रेस नोट

दिनांकः—11.03.2025

- **परिवादिया को विश्वास में लेकर ठगी करने वाले दो शातिर आरोपी गिरफ्तार ।**
- **वारदात के बाद 24 घंटे में किया घटना का खुलासा ।**
- **आरोपीगण द्वारा परिवादिया से ठगी किये गये सोने के टोपस व 30,000/रू. बरामद ।**

दिनांक 10.03.2025 को प्रार्थीया श्रीमती सविता भाटी पत्नी श्री रणजीतसिंह जाति राजपुत उम्र 50 साल निवासी कलियो का बास हाथीराम का ओडा पीएस सदर बाजार जोधपुर पूर्व ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस मजमून की पेश कि, आज दिनांक 10.03.2025 को मैं 11 बजे के बाद SBI बैंक गई जो साइकिल मार्केट में आई हुई है। वहॉ पर मुझे एक आदमी मिला जो किसी ऑखों के डाक्टर का पता पूछ रहा था और कहा कि मैं मथुरा से आया हूँ आप मुझे डॉक्टर के बारे मे बताओ। मैने उसे मना कर दिया कि इस नाम मुझे कोई डाक्टर की जानकारी नही है। फिर मेरे से बात करते करते एक आदमी और आया और उसको भी रोक लिया और फिर भगवान कृष्ण की बातें करने लगा और 10—10 रूपये मांगे, पैसे देने के बाद उसने हमें वापस दे दिए और बोला एक गोटा लाकर दो। उसको हमने एसबीआई पोल में वापस जाकर गोटा दिया और हमे बोला आप 101 कदम चल कर जाना चौराहे की तरफ, जब मेरे साथ वाला आदमी और मै जब चौराहे पर आये तो वो वहॉ पर घोडे तांगे के आगे खडा था फिर उसने हाथ में से जल(गंगा) निकलते हुए हमें जल दिया। फिर मुझे कान के टॉप्स खोलने के लिए कहा फिर बोला आप अन्दर बैग में डाल दो। मेरे हाथ मे कपडे की थैली थी । उसमे जींस और बैंक से 30 (तीस हजार) रूपये बैक की डायरी व कानों के टोपस उसी थेली में डाल दिए। फिर मुझे बोला आप सिटी बस 10 नं. तक जाकर वापस आवो। जब मैं जाने लगी तो मुझे बोला यह थैली मुझे दे दो। मैने थैली उसे देकर सिटी बस खडी रहती है, वहॉ तक गई। जब वापस आई तो दोनो आदमी वहा पर नहीं थे। मैने इधर उधर देखा पर दोनो आदमी नहीं मिले। वगैरा रिपोर्ट पर मुकदमा नं. 41/25 धारा 318(4) में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

—:कार्यवाही पुलिसः—

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय श्री आलोक श्रीवास्तव के निर्देशानुसार एवं श्रीमान अति0 पुलिस उपायुक्त श्री विरेन्द्रसिंह एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त वृत केन्द्रीय श्रीमती मंगलेश चुण्डावत के निकट सुपरविजन में मन थानाधिकारी माणकराम विश्नोई निरीक्षक पुलिस द्वारा थाना हाजा से विशेष टीम का गठन कर परिवादिया के साथ ठगी करने वाले अज्ञात आरोपीगण की तलाश व पतारसी शुरू की गई । दौराने तलाश घटनास्थल साईकल मार्केट के आस पास आई दुकानो एवं पुलिस चौकी सोजती गेट पर लगे मिनी अभय कमाण्ड सेन्टर व जिला अभय कमांड सेन्टर एवं शहर में अनेक मार्गो पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चैक किये एवं सीसीटीवी फुटेज व आसुचना संकलन कर प्रकरण की घटना का खुलासा करते हुऐ परिवादिया श्रीमती सविता भाटी के साथ ठगी करने वाले आरोपी असलम खान व इरफान को टीम द्वारा पाली से दस्तयाब किया गया । आरोपीगण से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी असलम खान व इरफान को गिरफ्तार किया गया एवं परिवादिया से ठगी किये गये सोने के टोपस व 30 हजार रूपये बरामद किये गये । आरोपीगण से पूछताछ व अनुसंधान जारी है ।

—: तरीका ए—वारदातः—

प्रकरण का मुख्य आरोपी असलम खान स्टोन (हकीक, मुंगा, माणीक, पुखराज, अमिटीशन पत्थर) अजमेर जयपुर से खरीद कर राजस्थान व मध्यप्रदेश के अलग—अलग शहरो व गांवो में जाकर बैचता है जो दिनांक 10.03.2025 को अपने गांव जावरा मध्यप्रदेश से अपनी साली के लडके इरफान के साथ स्टोन बैचने जोधपुर आया जो नई सडक, साईकल मार्केट में स्थित एसबीआई बैक के पास एवं बैक में आने जाने वाले ग्राहको को स्टोन दिखा रहा था उसी वक्त परिवादिया श्रीमती सविता को बैक से बाहर आते देख कर आरोपीगण द्वारा परिवादिया से ठगी करने के उदेश्य से प्लान बनाकर परिवादिया को रूकवाया एवं आरोपी असलम ने अपने आप को मथुरा का पण्डित होना बताकर परिवादिया को बातो में उलझाकर, झांसे/विश्वास में लेकर परिवादिया के कानो में पहने टोपस उतरवाकर उसी के बैग में रखवाया तथा परिवादिया को गुमराह करते हुये उसका बैग लेकर 100 कदम आगे चलकर पिछे नही देखने का कहकर परिवादिया का बैग जिसमे सोने के टोपस व 30,000रू. लेकर मौके से फरार हो गये ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के नाम व पताः—

01— असलम खान पुत्र मंजूर खान जाति पठान मुसलमान उम्र 50 वर्ष निवासी मकान नं. 51 वार्ड नं. 16 महावीर कॉलोनी पुलिस थाना जावरा जिला रतलाम मध्यप्रदेश ।

02– इरफान पुत्र अकरम अली जाति छिपा मुसलमान उम्र 37 वर्ष निवासी अटल नेहरू नगर पुलिस थाना भानपुर जिला भोपाल मध्यप्रदेश ।

कार्यवाही में शामिल पुलिस टीमः–

1. श्री माणकराम विश्नोई निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाजार जोधपुर पूर्व।
2. श्री नेमीचंद सहायक उप–निरीक्षक पुलिस थाना सदर बाजार जोधपुर पूर्व ।
3. श्री पप्पाराम सहायक उप–निरीक्षक पुलिस थाना सदर बाजार जोधपुर पूर्व
4. श्री ईश्वरसिंह कानि0 678 पुलिस थाना सदर बाजार जोधपुर पूर्व ।
5. श्री शेराराम कानि0 643 पुलिस थाना सदर बाजार जोधपुर पूर्व ।
6. श्री दिनेश चौहान कानि0 2047 आसुचना अधि0 पुलिस थाना सदर बाजार जोधपुर पूर्व।
7. श्री बंशीलाल कानि0 1528 अभय कमांड सेन्टर जिला पाली ।
8. पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली ।

पुलिस अपील– जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस सभी आमजन से यह अपील करती है कि वर्तमान समय में बढते साईबर अपराधो के मध्य नजर अनजान व्यक्ति द्वारा पुलिस सत्यापन तथा डिजिटल अरेस्ट की धमकियो भरे कॉल व मैसेज किये जाते है यदि किसी भी व्यक्ति के पास इस तरह के डिजिटल अरेस्ट संबंधी पुलिस के नाम से कोई कॉल या मैसेज आये तो तुरन्त निकट पुलिस चौकी/थाने में सम्पर्क कर तस्दीक अवश्य कर लेवे व अनजान नम्बरो से आये विडियो कॉल को अटेन्ड नही करे ।

भवदीय
सही/–
(माणकराम विश्नोई नि0पु0)
थानाधिकारी
पुलिस थाना सदर बाजार
जोधपुर पूर्व।